

राजस्थान सरकार
कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ / अलेसे-III /

दिनांक:

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के श्री रामावतार शर्मा, क0लेखाकार, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु पद कमोन्नत होने के कारण कार्यमुक्त होकर आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कोषालय, चूरु में दिनांक 02.05.2013 से 30.05.13 तक उपस्थित रहे। श्री शर्मा को राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चूरु में आदेश संख्या 82 / 2013-14 दिनांक 30.05.2013 के द्वारा पदस्थापित कर दिया गया।

आदेशों की प्रतीक्षा अवधि दिनांक 02.05.2013 से 30.05.13 को राजस्थान सेवा नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करने हेतु वित्त विभाग से प-2(16)वित्त/राजस्व/2004 दिनांक 09.07.2013 से स्वीकृति प्राप्त की गई। अतः श्री रामावतार शर्मा, क0लेखाकार को आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का भुगतान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चूरु के कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा दी जाती है।



निदेशक

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ / अलेसे-III / 7772-76

दिनांक: 12-7-13

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चूरु को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मी का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
2. उपनिदेशक(आईटी)(एसीपी) वित्त भवन, जयपुर को आदेश अपलोड करने हेतु विषय- (Sub-APO Salary drawing permission)
3. सहायक निदेशक(अलेसे-III) कार्यालय हाजा
4. श्री रामावतार शर्मा, क0लेखाकार, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चूरु को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चूरु को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
5. निजी सहायक, निदेशक
6. निजी पत्रावली



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)